

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प

संख्या-11/आ०2-1081/2024- 1147

पटना, दिनांक- 09/6/25

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर अन्तर्गत संचालित “हर घर नल का जल” योजनाओं के क्रियाशीलता की जाँच जिला प्रशासन के स्तर से विभिन्न चरणों में करायी गयी। द्वितीय चरण एवं चतुर्थ चरण में किये गये जाँच के अनुसार कुल 788 अदद एवं कुल 138 अदद योजनाएँ अक्रियाशील पायी गयी। साथ ही ZOD के तहत किये गए स्थल निरीक्षण में पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित कुल 2290 योजनाओं में से 116 योजनाएँ बन्द पायी गयी, 81 अदद योजनाएँ असंतोषजनक एवं CGRC Portal पर 71 अदद शिकायतें लंबित पायी गयी।

02. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या-543, दिनांक-28.02.2021 एवं संकल्प संख्या-1676, दिनांक-12.08.2024 में निहित प्रावधानों के तहत जलापूर्ति योजनाओं में साधारण मरम्मत का कार्य 24 घंटे के अन्दर एवं असधारण मरम्मत का कार्य 3-5 दिनों के अन्दर कराते हुए जलापूर्ति को सुचारू रूप से बहाल किया जाना है। साथ ही इस तरह के किसी भी समस्या के निराकरण हेतु कार्यपालक अभियंता को समीक्षा पदाधिकारी के रूप में नामित करते हुए जलापूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि श्री राकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर के स्तर से जलापूर्ति योजनाओं के निरीक्षण में लापरवाही एवं पर्यवेक्षण में शिथिलता बरती गयी।

03. श्री कुमार का उपर्युक्त कृत्य बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता में वर्णित प्रावधानों एवं बिहार सरकारी सेवक अचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में निहित प्रावधानों का उल्लंघन है। समीक्षोपरान्त श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है।

04. वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरान्त बिहार के राज्यपाल यह आदेश देते हैं कि श्री कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। एतदर्थ बिहार के राज्यपाल उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो०/मू०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

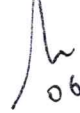
05. आरोपित श्री कुमार, संकल्प प्राप्ति की तिथि से 10 दिवसों के भीतर उस तिथि एवं उस समय पर, जो जाँच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त

10 दिनों से अनधिक अवधि के भीतर, उनके समक्ष उपस्थित होंगे तथा आरोप पत्र में उल्लेखित आरोप के संबंध में अपना लिखित बचाव-बयान समर्पित करेंगे।

06. जाँच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार जाँच कार्य संपन्न करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध करावेंगे।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति आरोप पत्र (अनुलग्नक सहित) के साथ श्री राकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता(असैनिक), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर/जाँच संचालन पदाधिकारी श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो०/मू०), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

✓  06.06.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1081/2024- 1147

पटना, दिनांक- 09/6/25

प्रतिलिपि:-वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓  06.06.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1081/2024- 1147

पटना, दिनांक- 09/6/25

प्रतिलिपि:-श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त सचिव-सह-जाँच संचालन पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री उत्कर्ष भारती, कार्यपालक अभियंता(मो०/मू०)-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री राकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०-यथोपरि।

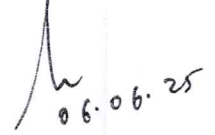
✓  06.06.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1081/2024- 1147

पटना, दिनांक- 09/6/25

प्रतिलिपि:-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/विभागीय आईटी0 मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

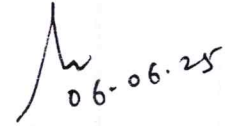

06.06.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1081/2024- 1147

पटना, दिनांक- 09/6/25

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


06.06.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव


06/6/25